न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-291RAAJodhpur2022-116RTA223 Poonaram Vs Suraram etc

पूनाराम पुत्र श्री रावताराम, जाति सीरवी, निवासी- भावी एसबी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सूराराम पुत्र श्री अनाराम, जाति सीरवी, निवासी- भावी एसबी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1986 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16 सितबंर 1987 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/1986 सूराराम बनाम पूनाराम

उपस्थित-

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 14 फरवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/1986 सूराराम बनाम पूनाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1986 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16 सितंबर 1987 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 4977 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 5011 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 5037 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 3910 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1238 रकबा 9 बीघा, खसरा नं. 1239 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 820 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 1478 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1427 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 4960 रकबा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नं. 4977 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा ग्राम भावी एसबी तहसील बिलाड़ा के संबंध में अपीलांट के विरुद्ध पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा सहमति का जवाब पेश किया। दिनांक 04 दिसंबर 1986 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 16 सितंबर 1987 को संशोधित निर्णय पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आलौच्य निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1986 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16 सितंबर 1987 विधि विरुद्ध पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरीत होने से काबिज निरस्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की करस्तानी को नही समझने में भारी भूल की है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को कोई नोटिस तामील नहीं हुए, उसके बावजूद दिनांक 05.11.1986 को जवाब मय वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना बताया। सर्वप्रथम तो जवाब जिस लिखावट में प्रस्तुत किया गया है, उसकी लिखावट में वाद प्रस्तुत हुआ है। तात्पर्य यह है कि जवाब दावा भी वादी के द्वारा ही लिखवाया हुआ है एवं वकालतनामे में अधिवक्ता का नाम भी लिखा हुआ नहीं है एवं वकालतनामा की लिखित एवं वादी के वकालतनामा के लिखित एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी हुई है तथा पक्षकारों के हस्ताक्षर भी एक समान है, जिससे स्पष्ट रूप से फर्जीवाड़ा प्रकट होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर गौर नहीं करने में भारी त्रुटि कारित की है, क्योंकि वाद पत्र में वादी सूराराम स्पष्ट रूप से लिखता है कि मेरे पिता अनाराम, करनाराम के गोद चले गये एवं मेरे दादा रावतराम के फौते होने पर विवादग्रस्त भूमि कानूनी रूप से पूनाराम के खातेदारी मे दर्ज हो गई। यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि जब वादी के पिता अनाराम गोद चले गये तो वो भी रावतराम के जीतेजी तो अनाराम के वारिसान् को उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि गोद जाने के बाद अनाराम का इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है एवं आगे उसके वारिस का भी कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है, क्योंकि हिस्सा सर्वप्रथम अनाराम का तय होता, अनाराम का हिस्सा तय हुए बिना वादी सूराराम का हिस्सा विवादग्रस्त भूमि में तय नहीं हो सकता। मात्र इसी आधार पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। आदेशिका को देखने मात्र से वादी द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा उजागर हो जाता है, क्योंकि दिनांक 03.12.1986 को शीघ्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई हेत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होकर पूर्व में निर्धारित पेशी दिनांक 27.11.1986 से पहले सुनवाई होती है एवं दोनो पक्षो के गवाहो के बयान कलमबद्ध किये जाते है एवं उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब दावा बंद किया जाता है एवं अगले ही दिनांक 04.12.1986 को निर्णय एवं डिक्री हो जाती है, अर्थात एक दिन में सारी कार्यवाही पूर्ण होती है, जो स्पष्ट रूप से संदेहस्पद है। अपीलार्थी के इस वाद के बाबत जितने भी हस्ताक्षर किये गये है, वे तमाम जगह पर फर्जी व बनावटी है। अपीलार्थी द्वारा न तो अधिवक्ता मुकर्रर किये गये है और न ही हस्ताक्षर किये गये है एवं न्यायालय में साक्ष्य भी कलमबद्ध नहीं करवाई गई। वाद पत्र में वादी ने विवादग्रस्त भूमि के बाबत घोषणा व बंटवाड़े की मांग की है, लेकिन बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो स्पष्ट रूप से विधि का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में न्याय के नेसर्गिक सिद्धांतो की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो काबिले निरस्त है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर वकील अपीलांट के कथन है कि आलौच्य निर्णय फर्जीवाड़े से प्रार्थी की पीठ के पीछे पारित करवाया गया है। प्रार्थी किसान वर्ग का केवल साक्षर व्यक्ति है, जिसको राजस्व रेकर्ड की कोई जानकारी नहीं रही। प्रतिवादी एवं उसके पुत्रों ने वादी को बेदखल करने की बात कहीं तब प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तो मालुम हुआ कि इस प्रकरण में पूरा फर्जीवाड़ा करके प्रार्थी की जगह किसी अन्य से हस्ताक्षर करवाकर प्राथी की जगह किसी अन्य को साक्ष्य में पेश कर तथा जवाब दावा प्रार्थी की ओर से पेश किया गया। इस प्रकरण से संबंधित कागजो की नकले प्राप्त की एवं दाण्डिक प्रकरण, जिसके प्रथम इतला रिपोर्ट संख्या 399/2021 इस्तगासे के जरिये दर्ज करवाई तथा अधिवक्ता से बमुकाम बिलाड़ा में इस प्रकरण के बाबत राय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ली गई तो बताया गया कि इस रिपोर्ट से आपका सारा काम हो जायेगा। प्रार्थी चूंकि किसान व्यक्ति है, जिसको कानूनी जानकारी नहीं रही एवं उसे जो विधिक राय मिली उस पर विश्वास कर लिया। उक्त रिपोर्ट के दर्ज करवाने के बाद दर्ज सुदा रिपोर्ट को लेकर हल्का पटवारी के पास दिनांक 10.06.2022 को अपने नाम खातेदारी करवाने के लिए गया तो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बिलाड़ा ने बताया कि आपका नाम जब तक यह फैसला बरकार है, तब तक राजस्व रेकर्ड में नहीं लिख सकते। आपको इस फैंसले को खारिज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही राजस्व रेकर्ड में आपका नाम लिखा जायेगा, तब दिनांक 13.06.2022 को जोधपुर अधिवक्ता से सम्पर्क किया व विधिक राय प्राप्त की एवं नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 22.06.2022 को नकल प्राप्त हुई, जिस पर खर्चे की व्यवस्था कर अपील तैयार करवायी जो जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की। आलौच्य निर्णय एंव डिक्री विधि विरुद्ध है तथा विधि विरुद्ध प्रकरणों में परिसीमा के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा वैसे भी इस प्रकरण में पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा किया गया है। प्रार्थी की जगह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर करवाये गये तथा तमाम हस्तलिखित कार्यवाही एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है, जिसके बाबत दाण्डिक प्रकरण दर्ज कर रखा है। प्रार्थी ने जानबूझ कर या उद्धेश्य विशे की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है, उक्त विलंब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिसंबर 1986 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16 सितंबर 1987 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की सम्यक रूप से तामील होने पर वह जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा अपनी सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य कलमबद्ध करवाते समय अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवादी की सहमति से वाद विधिसम्मत रूप से स्वीकार किया है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि उसके फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, इस संबंध में अपीलांट द्वारा दाण्डिक प्रकरण में की गई कार्यवाही में एफ.आर. लगी है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाबदावा एवं साक्ष्य कलमबद्ध करवाने से उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की शुरू से ही जानकारी थी। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का मिथ्या कारण बतलाया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2005(2) पेज 819, 2016(1) सीसीसी पेज 165, 2011(2)आर.आर.टी. पेज 851 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रुख अपनाते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा दिनांक 05.11.1986 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया जाना पाया जाता है। दौराने साक्ष्य अपीलांट/डी.डब्ल्यू-1 पूनाराम द्वारा जिरह में स्वीकार किया है कि **''अनाराम जी रावतराम के जीते जी करणाराम जी के गोद चला गया। अनाराम जी का लड़का सूराराम मेरे साथ रहता है। हमारे आपस में बंटवाड़ा हो गया है। बंटवाड़े के माफिक सूराराम के बंट में 42 बीघा भूमि आई है, जिस पर सूराराम अलग काबिज है तथा बाकी जमीने मेरे बंट में आई है। 1 बिस्वा बेरा मेरे व सूराराम के आधो-आध है। दावे के पैरा नं. 3 के अनुसार बंटवाड़ा किया जावे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।''** प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपने जवाबदावे एवं जिरह में वादी के वाद को स्वीकार करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट द्वारा का उज्र है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करवाकर तथा अपीलांट के स्थान पर अन्य व्यक्ति को जिरह में सम्मिलित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इस संबंध में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दीवानी न्यायालय के द्वारा पारित एफ.आर. आदेश की प्रति के मुताबिक अपीलांट द्वारा किये गये कथन मिथ्या साबित होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लंबी अवधि बाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/1986 सूराराम बनाम पूनाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1986 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16 सितंबर 1987 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
पूनाराम पुत्र श्री रावताराम, जाति सीरवी, निवासी-भावी एसबी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।	ब ना म	1. सूराराम पुत्र श्री अनाराम, जाति सीरवी, निवासी-भावी एसबी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर। 2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1986 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16 सितंबर 1987 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/1986 सूराराम बनाम पूनाराम

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 14 फरवरी 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट एवं श्री गणपतलाल चौधरी मिनजानिब रेस्पो एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/1986 सूराराम बनाम पूनाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 1986 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16 सितंबर 1987 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 14 फरवरी 2023 को जारी किया गया।

14.2.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

14.2.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर